न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/36/2021 रजि0 नं0 2021/65

प्रवेश तिथि 25.03.2021

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री महेन्द्र मोहन उर्फ महेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र, जाति–रैगर, गांव–धीरोड़ा, तहसील–टहला, जिला–अलवर(राज.)–301410		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 26.04.2021

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ। शामिल पत्रावली किया गया।
3. मैंने पत्रावली का विशुद्ध परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 08.02.2021 के माध्यम से प्रत्यर्थी के न्यायालय प्रकरण के संबंध में 13 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई। उक्त आवेदन में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांकः 22.03.2021 के माध्यम से इस कार्यालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम. द्वितीय/आर.टी.आई.अपील/2021/386–87 दिनांकः 26.03.2021 के माध्यम तलब कर दिनांकः 06.04.2021 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं किन्तु उनकी ओर से पत्रांक 2021/1901 दिनांकः 06.04.2021 के माध्यम से जवाब प्रेषित किया गया जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों पर मनन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा आवेदक के प्रथम आवेदन दिनांकः 08.02.2021 के क्रम में पत्र सं. 2021/1614 दिनांकः 15.03.2021 के माध्यम से अपीलार्थी को बिन्दुवार विनिश्चय से अवगत कराया जा चुका है जिसके अनुसार संदर्भित सूचना, तृतीय पक्षीय, विधि नियमों के क्रम में राय/अभिमत स्वरूप एवं न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित होने के कारण अदेय है।
7. अतः चाही गई सूचना ''सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005'' की धारा 8(1)(D) एवं धारा 11(3) के तहत देय नहीं है। प्रत्यर्थी का विनिश्चय उचित प्रतीत होता है। अपील खारिज करना समीचीन है।
8. अस्तु उक्त आलोक में प्रथम अपील खारिज की जाती है।
9. आज दिनांकः 26.04.2021 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. निर्णय घोषित ।

(कमलराम मीना)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)